## LICENSE FREE

(Govt. order - GSR564(E) Dated- 30 July 2008)



- 360° Microphone
- Compander
- Power Saving Function
- Dust & Splash Proof
- Alarm/Scanning/Hi-Low Power Selection
- VOX Functions

# V7



### **Main Functions**

- 16 channels
- PC Programmable
- VOX functions
- CTCSS/DCS
- English voice prompt
- Power saving function

- Scanning function
- COMP function
- Wide/narrow bandwidth selective
- End tone elimination
- Emergency alarm

General		Transmitter		Receiver	
Frequency range	865-867 Mhz	RF Output power	1W	Receiving sensitivity	<0.2µV
Operating temperature	-20℃~+50℃	Frequency stability	± 2.5ppm	Audio distortion	≤5%
Operating voltage	DC 7.2V	Modulation Limiting	≤2.5KHz	Audio response	+2dB~-10dB
Operate mode	Simplex or Semi-duplex	Audio distortion	≤5%	Co-channel suppression	≥-8dB
Antenna impedance	50Ω	Modulation character	+3dB~-3dB	Adjacent Ch. selectivity	≥55dB
Weight	190g(Include battery & antenna)	Adjacent Ch. power	≥65dB	Intermodulation rejection	≥55dB
Dimensions (WxHxD)	116x57x34mm	Spurious radiation	≤7.5µW	Spurious response	≥65dB
Battery Cell	2000mAh Li-ion	Occupied bandwidth	≤16KHz	Blocking	≥85dB

## **Standard Accessories**



Battery





Charger

Belt clip

Antenna

## **Optional Accessories**



More accessories please refer to our website.







प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 422]
 नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2008/आवण 8, 1930

 No. 422]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2008/SRAVANA 8, 1930

#### संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

( बेतार आयोजना और समन्वय स्कंध )

#### अधिसूचना

#### नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 564( अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और धारा 7 और भारतीय बेतार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 और धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आर एफ आई डी) के लिए 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आर एफ आई डी) के लिए 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

 रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आर एफ आई डी) के लिए 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक के आवृत्ति बैंड में अल्पशक्ति उपस्कर का उपयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2005 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

> "3. 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक के बैंड में बेतार उपस्कर का उपयोग.—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति से अव्यतिकरण पर कोई अन्य अल्पशक्ति बेतार यंत्र असंरक्षित और सम्मिलित (गैर-विशिष्ट) आधार पर 865 से 867 मेगाहर्ट्ज तक के

आवृत्ति बैंड में अधिकतम 1 वाट ट्रांसमीटर शक्ति, 4 वाट की प्रभावी विकरित शक्ति और 200 किलो हर्ट्ज की संवाहक बैंडविड्थ युक्त रेडियो आवृत्ति अभिज्ञान यंत्र (आर एफ आई डी) की स्थापना करने, अनुरक्षण करने, कार्य करने, कब्जे में रखने या व्यवहार करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।"।

#### [सं. आर.-11014/23/2004-एल आर]

आर. के. सक्सेना, उप बेतार सलाहकार

टिप्पणः—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ), तारीख 11 मार्च, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ), तारीख 22 जनवरी, 2007 द्वारा संशोधित किए गए।

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFOR-MATION TECHNOLOGY

#### (Wireless Planning and Coordination Wing) NOTIFICATION

#### New Delhi, the 30th July, 2008

**G.S.R. 564(E).**—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Use of low Power Equipment in the Frequency Band 865-867 MHz for (RFID) Radio Frequency Identification Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Use of low power Equipment in the frequency band 865-867 MHz for (RFID) Radio Frequency Identification Devices (ExempPART II-Section 3-Sub-section (1)

. यहे सिलली, शुधावार, जुलाई ३०, २००८/आवण्ड ४, १९३०

[PART II-SEC. 3(i)]

#### tion from Licensing Requirement) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Use of low power Equipment in the frequency band 865-867 MHz for (RFID) Radio Frequency Identification Devices (Exemption from Licensing Requirement) Rules, 2005, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

"3. Use of wireless equipment in the band 865-867 MHz.—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no licence shall be required by any person to establish, maintain, work possess or deal in Radio Frequency Identification Devices (RFID) or any other low power wireless devices or equipments, on non-interference, nonprotection and shared (non-exclusive) basis, in the frequency band 865-867 MHz with maximum 1 Watt transmitter power, 4 Watts Effective Radiated Power and 200 KHz carrier bandwidth.".

[No. R-11014/23/2004-LR]

R. K. SAXENA, Dy. Wireless Adviser

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 168(E), dated the 11th March, 2005 and subsequently were amended *vide* notification number G.S.R. 37(E), dated the 22nd January, 2007.

आवृत्ति केंद्र में अगिकतम् । भार स्रोग्रमीस शांभत, 4 मार व प्रथानी फिकरित शत्वित और 200 किसी हदवं की संयहत् वैद्यमिदय युक्त दिखी आवृत्ति अभित्तम पत्र ( जत प्रथा का 'दो) भी स्वापना करने के लिए कोई अनुनदित अपेक्ति म

1.41 मध्य अग्र अग्र अग्र अग्र अग्र मार्ग अग्र मार्ग के स्वाय के स्वाय के स्वाय के स्वाय के स्वय मार्का के स्वाय के स्वाय के नाम्बर में जांग्र प्रयत स्वयम मार्का के स्वाय के संवय के स्वाय आग्र अग्र अग्र अग्र प्रकाशित कि रूप थे सीर्व संपर्धकार करिस्त्वित संवय प्रयतिहत कि उर्थ जो, स्वाय 22 स्वाय , 2007 हल स्वायक कि उर्थ जो, स्वाय 22 स्वाय , 2007 हल

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFOR-MATION TECHNOLOGY

(Witerest Flanning and Southanion Wing)

ow Definit this 30th July 200

G.S.R. 3041 El.—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1883 (17 of 1885) and Sections 4 and 10 of the Indian Wineless Telegraphy Act, 1931 (17 of 1973), the Central Covariants hereby makes the following cases further to unsend the Uw of low Power Equippenent in the Frequency Hand Solveso? Mit? for (ICHD) Pacho Preparing Identification Devices (Examplication From Liconsing Requirement) Rules, 2005. संचार और सुखना प्रौठोषिको संवालय

अधिस्त्रणाः न्यं स्थिनी, ३० जन्म, २००४

सा.का.गि. 56-4( व) — वावीय याजर, पाछीय ता अधिनियम. 1885 (1885 का 13) को घारा 6 लोग थाय 7 औ पासीन व्यवर वविकी अधिनेषार, 1933 (1933 का 17) को यात 4 और थान 10 द्वारा प्रस्त शक्तियों का उपने करने हुए, (18पां आवृति आपितान नेव ( वस एफ खाते हो) को लिए 865 से 867 मेगलटून समित के बालूनि बेट में करपशावित उपायन का उपलेग ( अनुतापन जमका से खानूनि बेट में करपशावित उपायन का उपलेग ( अनुतापन जमका से खानूनि बेट में करपशावित उपायन का उपलेग ( अनुतापन जमका से खानूनि बेट में करपशावित उपायन का उपलेग ( अनुतापन जमका से खानूनि के कि में करपशावित उपायन का का पिन

 (1) इन गियमी का मॉक्टन नम रोडे में आतृति आतृति अभिवान पत्र (आर एक उन्हें ही) को लिए 865 से 867 में महरूती एक के आनृत्रि येंद्र में अल्प्स्टलित उपस्कर का दर्गांचेंग (आनुसंख्य अभेक से एह) सर्वाधन निषम, 2008 है।

भीत तल्द भा ख्रांसल भी लगाव भा प्रतत होगे ।

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2